कार्यालय कलेक्टर/अध्यक्ष जिला बाल संरक्षण समिति

मिशन वात्सल्य योजना, महिला एवं बाल विकास, जिला–गरियाबंद (छ.ग.)

Email- Icpsgariaband@gmail.com

कमांक /1360/मबावि./मि.वा.यो./ 2025–26 गरियाबंद, दिनांक 29/01/2026

//विज्ञापन//

मिशन शक्ति अंतर्गत जिला स्तरीय महिला सशक्तिकरण केन्द्र(हब) अंतर्गत जेण्डर विशेषज्ञ संविदा पद की भर्ती हेतु विज्ञापन प्रकाशित करने विषयक

भारत सरकार ने एकीकृत महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम अंतर्गत महिलाओं के सुरक्षा एवं बचाव हेतु एक अम्ब्रेला योजना "मिशन शक्ति" की शुरूआत की है। मिशन शक्ति के अंतर्गत जिला स्तर पर जिला स्तरीय महिला सशक्तिकरण केन्द्र (District Hub for Empowerment of Women) के द्वारा किया गया है। इस हेतु प्रत्येक जिले पर महिला सशक्तिकरण केन्द्र (Hub for Empowerment of Women) स्थापित किए जाने 08 संविदा पदों स्वीकृति का प्रावधान है। जिला स्तर पर रिक्त जेण्डर विशेषज्ञ संविदा 01 अनारक्षित पद हेतु पात्र आवेदकों से दिनांक 01/02/2026 से 15/02/2026 तक जिले की वेवसाईट WWW.gariaband.gov.in पर जाकर गुगल फार्म लिंक के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये जाते है निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् आवेदन स्वीकार नही किया जावेगा। पदों एवं आवेदन प्रकिया का विवरण निम्नानुसार है:–

क्र.	पदनाम	पद संख्या					एकमुश्त मासिक वेतन रू.	वेतन मैट्रिक्स लेवल
		अनारक्षित	अ.ज.जा.	अ.जा.	अ.पि.व.	योग .		
1	जेन्डर विशेषज्ञ	01	00	00	00	01	25780/-	8

उपरोक्त पदों पर चयन हेतु शैक्षणिक योग्यता, मासिक वेतन, अन्य सुविधाएं, चयन हेतु अर्हता/मापदण्ड एवं अन्य शर्तें, आयु–सीमा, अनुभव, चयन प्रकिया एवं अन्य विवरण जिले की वेवसाईट WWW.gariaband.gov.in पर देखा जा सकता है।

(कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)

जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास विभाग
जिला गरियाबंद (छ.ग.)

पृ0 क्रमांक/1361/म.बा.वि./मि.वा.यो/2025–26 गरियाबंद, दिनांक 29/01/2026

प्रतिलिपि :–

1. **संचालक**, संचालनालय, महिला एवं बाल विकास विभाग इन्द्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर छ.ग. की ओर सादर सूचनार्थ।
2. **कलेक्टर**, जिला गरियाबंद की ओर सादर सूचनार्थ।
3. **मुख्य कार्यपालन अधिकारी** जिला पंचायत गरियाबंद की ओर सादर सूचनार्थ
4. **उप संचालक**, जन संपर्क विभाग जिला गरियाबंद की ओर सूचनार्थ कर लेख है कि 02 समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित करने का कष्ट करेगे।

जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास विभाग
जिला गरियाबंद (छ.ग.)

1. **जिला स्तरीय महिला सशक्तिकरण केन्द्र पदपूर्ति हेतु विस्तृत दिशा निर्देश**

भारत सरकार ने एकीकृत महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम अंतर्गत महिलाओं के सुरक्षा, संरक्षण एवं सशक्तिकरण हेतु एक अम्ब्रेला योजना "मिशन शक्ति" की शुरूआत की है। मिशन शक्ति के दिशा निर्देशों के अनुसार गरियबांद जिले को हब हेतु जेण्डर विशेषज्ञ पद का प्रावधान रखा गया है। जेण्डर विशेषज्ञ 01 रिक्त संविदा पद हेतु निम्नानुसार नियम व शर्तो निम्नानुसार है:-

2. **शैक्षणिक योग्यता, अनिवार्य कौशल, अनिवार्य अनुभवः-**

क्र.	पदनाम	अनिवार्य न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता	अनिवार्य कौशल	अनिवार्य न्यूनतम अनुभव	वांछनीय योग्यता
1	जेन्डर विशेषज्ञ (01 अनारक्षित)	सामाजिक कार्य/अन्य सामाजिक क्षेत्रों मे स्नातक डिग्री।	कम्प्यूटर का अच्छा ज्ञान एवं एम.एस ऑफिस एवं कम्प्यूटर टाईपिंग मे कार्य करने की क्षमता	• जेण्डर से संबंधित कार्य का शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं में कम से कम 03 वर्षो का अनुभव • कम से कम 03 वर्ष का महिलाओं के मुद्दो का अनुभव	• स्नातकोत्तर डिग्री धारक को प्राथमिकता। • अंग्रेजी भाषा में कम्प्यूटर में कार्य करने का अनुभव।

3. छत्तीसगढ़ शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग के आदेश कमांक एफ03-05/2023/मबावि./50 पार्ट दिनांक 06.09.2023 के द्वारा प्रत्येक जिले के जिला स्तरीय महिला सशक्तिकरण केन्द्र, हब हेतु उक्त पद योजना के एकमुश्त/संविदा वेतन पदों के सृजन की एवं इनके भरे जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है तथा साथ ही इन पदों पर नियुक्ति हेतु दिशा निर्देशों पर भी स्वीकृति प्रदान की गयी है,

4. **वेतन भत्ते, अन्य सुविधाओं का विवरण-** मिशन शक्ति अंतर्गत जिला स्तर पर जिला महिला सशक्तिकरण केन्द्र (DHEW-Distict Hub for Empowerment of Women) में आदर्श मानव संसाधन की संरचना तथा उनकी योग्यता का निर्धारण मिशन शक्ति के दिशा निर्देश मे उल्लेखित हैं तद्नुसार उक्त पदों पर योजना अंतर्गत निर्धारित संविदा वेतन पर भारत शासन द्वारा दी जा रही सहायता तक यह पद स्वीकृत है।

4.1 पदों हेतु वेतन योजना अवधि मे नियुक्त कर्मियों को मिशन शक्ति अंतर्गत महिला सशक्तिकरण केन्द्र (HUB) के प्रावधान के अनुसार एकमुश्त संविदा वेतन देय होगा तथा संविदा वेतन के अतिरिक्त कोई भी अन्य वेतन/भत्ते की पात्रता नहीं होगी।

4.2 इन कर्मियों को अवकाश सुविधा राज्य में प्रचलित छ.ग. सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 यथा संशोधित मे संविदा कर्मियों को देय सुविधा के अनुसार दिया जावेगा। विशेष परिस्थितियों पर आवश्यकता होने पर कही यात्रा में भेजे जाने पर अथवा प्रशिक्षण पर भेजे जाने की दशा में यथोचित स्वीकृति के उपरांत समकक्ष पद के अनुरूप यात्रा भत्ता देय होगा।

4.2 आयु सीमा–

- जेण्डर विशेषज्ञ, पद हेतु अभ्यर्थी की आयु 01.01.2025 को 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो। इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी को आयु सीमा में छूट के संबंध मे राज्य शासन द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप छूट की पात्रता होगी किंतु सभी छूटो को मिलाकर अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नही होगी।
- उपरोक्त पद हेतु इसके अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप आयु की छूट की पात्रता होगी, किन्तु सभी छूटो को मिलाकर उनके लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- आयु के सत्यापन/समर्थन हेतु जन्म प्रमाण–पत्र या कक्षा 8 वीं, 10 वीं की अंक सूची, जिसमें जन्म तिथि अंकित हो, के आधार पर किया जावेगा। दस्तावेज सत्यापन के समय मूल प्रति एवं स्वप्रमाणित प्रति लाना अनिवार्य होगा।

4.3 जेण्डर विशेषज्ञ, पद हेतु छत्तीसगढ़ राज्य का निवासी होना अनिवार्य नहीं है किंतु छत्तीसगढ़ राज्य के निवासियों के आवेदन करने पर उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी, इस हेतु मेरिट निर्धारण में अंकीय प्रणाली में छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को, इन पदों हेतु 02 बोनस अंक दिया जाएगा।

- मूल निवासी प्रमाण पत्र के संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया निवास प्रमाण पत्र ही मान्य किए जावेंगे।

4.4 आरक्षित वर्ग हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

4.5 कोई भी उम्मीदवार, जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा/होगी। चयन होने की स्थिति में चयनित अभ्यर्थी को रू. 50/– के स्टॉम्प पेपर पर नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित तत्संबंधी शपथ–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

4.6 उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही एक पति/पत्नी जीवित हो, पात्र नहीं होगा/होगी। ऐसे मामले में शासन ही अन्यथा निर्णय ले सकता है। अर्थात् यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाये कि ऐसा करने का पर्याप्त कारण है तो वह इस प्रतिबंध से छूट दे सकता है।

4.7 अनुभव के संबंध मे अभ्यर्थी को संबंधित संस्था के नियोक्ता द्वारा जारी पूर्णकालिक कार्यानुभव राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित/सत्यापित अनुभव प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा। अनुभव प्रमाण पत्र की प्रमाणिकता का परीक्षण अनिवार्यतः किया जावे।

4.8 आवेदक द्वारा आवेदन में दिए गए अनुभव को मान्य करने के संबंध मे नियुक्ति अधिकारी (जिला कलेक्टर) का निर्णय ही अंतिम होगा।

4.9 किसी भी प्रकार का स्वैच्छिक सेवा का प्रमाण पत्र अनुभव के रूप मे मान्य नहीं किया जावेगा।

4.10 शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को अपने आवेदन पत्र को नियोक्ता के अनापत्ति प्रमाण–पत्र सहित प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा आवेदन पत्र विचारणीय नहीं होगा।

4.11 अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों के संबंध मे उम्मीदवारों को पृथक से कोई सूचना नहीं दी जावेगी एवं ऐसे आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जावेंगे। निर्धारित योग्यता ना रखने वाले उम्मीदवार कृपया आवेदन ना करें।

4.12 उपरोक्त पद हेतु ऑनलाईन आवेदन देना होगा। ऑनलाईन आवेदन पत्र में पद का नाम, एवं पत्र व्यवहार का पूर्ण पता (ई–मेल एड्रेस एवं मोबाईल नंबर सहित) आवश्यक रूप से अंकित होना चाहिए।

4.13 आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर ले तथा विज्ञापित पद के लिये निर्धारित अर्हता एवं शर्तो को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भेंजे। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अयोग्य पाये जाने पर उनका आवेदन पत्र निरस्त कर उनकी उम्मीदवारी समाप्त की जा सकेगी।

4.14 उपरोक्तानुसार आर्हता के आधार पर ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे तथा अंकीय प्रणाली के आधार पर मेरिट तैयार करते हुए वॉक–इन–इंटरव्यू एवं कौशल परीक्षा (आवश्यक हो तो) के आधार पर चयन की प्रकिया की जाएगी। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता मे शिथिलता नहीं दी जावेगी। केवल विशेष प्रकरण मे योग्य आवेदक न मिलने पर ही संचालक, महिला एवं बाल विकास विभाग की अनुमति के उपरांत ही अनिवार्य न्यूनतम अनुभव मे शिथिलता दी जा सकेगी।

4.15 **जिले की वेवसाईट WWW.gariaband.gov.in पर गुगल फार्म के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये जाते है। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् आवेदन स्वीकार नही किया जावेगा। आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन में वांछित प्रमाण–पत्र एवं अन्य दस्तावेज स्वयं द्वारा अभिप्रमाणित कर पीडीएफ अपलोड किया जाना है।**

4.16 कौशल परीक्षा/वॉक–इन–इंटरव्यू में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता/अन्य भत्ता देय नहीं होगा।

4.17 योजना के अंतर्गत एकमुश्त संविदा वेतन पर नियुक्त कर्मी छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 से शासित होंगे तथा इन नियमों का पालन करने बाध्य होंगे।

5. **नियुक्ति प्रकियाः–** जिला स्तरीय महिला सशक्तिकरण केन्द्र HUB (DHEW) हेतु जिला स्तर पर जिला कलेक्टर अथवा नामांकित वरिष्ठ अधिकारी की अध्यक्षता में चयन समिति गठन किया जाकर भर्ती की कार्यवाही उपरोक्त निर्धारित प्रकिया के अनुसार ही की जाएगी। यह नियुवित समिति कलेक्टर को अनुशंसा करेगी, अनुशंसा के आधार पर कलेक्टर के द्वारा नियुवित्त की जाएगी। भारत शासन द्वारा निर्धारित मापदंडो के आधार पर प्राप्त आवेदनों की अंकीय प्रणाली के आधार पर मैरिट तैयार किया जायेगा।

आवेदनों के मूल्यांकन हेतु अंकीय प्रणाली में निम्नानुसार अंक रखे जायेंगे–

5.1. वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंको का Weightage देते हुए अधिकतम 60 अंक।

5.2 न्यूनतम अनुभव के पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष के अनुभव के लिए 02 अंक दिये जायेंगे, अधिकतम 18 अंक।

5.3 छत्तीसगढ़ के मूल निवासी आवेदकों को 02 बोनस अंक दिए जाएंगे।

5.4 उपरोक्त तीनों बिंदुओं के आधार पर कुल 80 अंक के आधार पर मैरिट तैयार की जाएगी।

5.5 वॉक इन इन्टरव्यू/कौशल परीक्षा हेतु 20 अंक निर्धारित रहेंगे। जिन पदों पर दोनों रखा जाना है वहां दोनो में 10–10 अंक होंगे।

5.6 अभ्यर्थियों के चयन मेरिट सूची मे समान अंक होने की दशा मे उम्र मे वरिष्ठता के आधार पर चयन में वरीयता दी जावेगी।

5.7 समिति आमंत्रित आवेदन की उपरोक्तानुसार अंकीय प्रणाली के आधार पर कमांक 5 के उप कंडिका 5.1, 5.2, 5.3 पर प्राप्त कुल 80 अंको के वैटेज के आधार पर मेरिट लिस्ट में से 01 पद के विरूद्ध 1:10 में वॉक–इन–इन्टरयू/कौशल परीक्षा हेतु आवेदकों को आमंत्रित किया जावेगा एवं उपरोक्तानुसार प्रकिया के अनुसार अंतिम चयन सूची तैयार की जाएगी एवं चयन किया जाएगा। चयन समिति द्वारा चयन हेतु अनुशंसा सूची कलेक्टर की प्रेषित की जाएगी एवं कलेक्टर द्वारा नियुक्ति आदेश जारी किया जाएगा।

6. **नियुक्ति की अवधिः–**

6.1 उपरोक्त पद पर प्रथम बार में संविदा/एकमुश्त वेतन पर अधिकतम 02 वर्ष की अवधि हेतु योग्य अभ्यर्थियों का चयन/नियुक्त किया जाएगा तथा तद्पश्चात् कार्य योग्यता, कार्य क्षमता एवं व्यवहार तथा विभाग की आवश्यकता के आधार पर तथा नियंत्रणकर्ता अधिकारी की अनुशंसा के आधार पर उपयुक्तता का आंकलन कर संविदा/सेवा अवधि प्रत्येक बार 1 वर्ष के लिए जिला कलेक्टर द्वारा बढ़ाने का निर्णय लिया जा सकेगा अन्यथा नियुक्ति की अवधि समाप्ति पर नियुक्ति स्वमेव समाप्त मानी जाएगी।

6.2 चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी एवं बिना कारण बतायें भी समाप्त की जा सकती है। संविदा सेवा अवधि के दौरान दोनों पक्ष में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकती है।

6.3 इन पदों की अवधि भारत शासन द्वारा योजना संचालन की अवधि तक ही सीमित होगी एवं तदोपरांत पद समाप्त कर दिये जायेंगे। पद समाप्ति के उपरांत इन पदों पर कार्य कर्मियों की विभाग की कोई जिम्मेदारी नही होगी।

6.4 चयन संबंधी विवाद की दशा में नियोक्ता का निर्णय अंतिम होगा।

(कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)

जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास विभाग
जिला–गरियाबंद (छ.ग.)